परियोजना का नामः—जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर—कुमाल्डा—कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0—35 से घेना गांव के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (**FP/UK/ROAD/23941/2017**).

बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र / निरीक्षण टिप्पणी

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के लिए नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रस्तावित संरेखण का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, राजि आधिकारी, सकलाना राजि व अधीनस्थ स्टाफ कर्मचारी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक—07.03.2019 को किया गया जिसमें याचक विभाग के अधिकारी / कर्मचारी भी उपस्थित रहे । प्रश्नगत मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसमें 1.6275 हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.087 हे0 तथा वन पंचायत भूमि 0.368 हे0 कुल 2.0825 हे0 प्रभावित हो रही है जो कि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा चिन्हित संरेखण / स्थल से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 3.3250 कि0मी0 है जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गठित किया गया है। मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम —घेना के ग्रामीण लाभान्वित होगें जिनकी आबादी लगभग 375 है।

प्रस्ताव के अनुसार परियोजना हेतु चयनित संरेखण में विभिन्न व्यास ,प्रजाति के आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम वन भूमि एवं वन पंचायत भूमि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 115 वृक्ष प्रभावित होगें एवं मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 69 वृक्ष प्रभावित होंगे । परियोजना के निर्माण से नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों का व्यासवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क0 सं0	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेंट	प्रभावित होने वाले वृक्षों का व्यासवार विवरण (से0मी0)							योग
			0—10	10—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि	भुत्सी कक्ष संख्या—01	00	48	09	10	10	01	00	**78**
2.	सिविल भूमि	ग्राम—घेना	00	14	10	04	00	00	00	**28**
योगः—			**00**	**62**	**19**	**14**	**10**	**01**	**00**	**106**

अन्य कोई विकल्प न होने के कारण परियोजना निर्माण हेतु चिन्हित संरेखण में ओक मिश्रित वन के आरक्षित वन भूमि में बांज के 78 व सिविल सोयम वन भूमि में बांज के 28, कुल 106 बांज वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है ।

अतः प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु चिन्हित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण में उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है ।

1. मोटर—मार्ग के लिए पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये ।
2. मोटर—मार्ग के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोजल / डम्पिंग यार्ड क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाए ।

3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वन अग्निकाल के दौरान आस–पास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये ।

4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर–मार्ग हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीव का आखेट न होने पाये । ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(पी0के0पात्रो)
वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त,उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती

email:cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 1421 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक– 12 / 03 /2019।

प्रतिलिपिः–अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड–2,पी0एम0जी0एस0वाई0, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी0के0पात्रो)
वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त,उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती